1176

5644
18/12-14

Spl. Sec.
O. S. D.

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

स0 एल0ए0/एस0एस0 –1/श0स्था0नि0/14453/2124 दिनांक:– 11.12.2014

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, झाझा के वर्ष 2011–12 से 12–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 421/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

28/11/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
17 DEC 2014
संख्या 9612
बिहार, पटना

17/12/14

251
18/12/14

नगर पंचायत, झाझा
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–421/13–14
अंकेक्षण वर्ष– 2011–12 से 12–13

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, झाझा (जमुई) के लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2011–12 से 12–13 तक के लेखाओं की नमूना जॉच महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना के स्थानीय लेखापरीक्षा के अंकेक्षण दल द्वारा दिनांक 27.05.2013 से 01.06.2013 तक की अवधि में की गई।

2. प्रशासन

क्र.सं.	पद	पदधारी का नाम	कार्य अवधि
1	अध्यक्ष	श्री मोहन पासवान	01.04.11 से 31.03.13
2	उपाध्यक्ष	श्री संजय कुमार यादव	01.04.11 से 31.03.13
3	कार्यपालक पदाधिकारी	श्री अवधेश कुमार नेपाली	01.04.11 से 31.03.13

2(i) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में उपलब्ध एवं नमूना लेखापरीक्षा की गई अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–I में तथा अनुपलब्ध असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II में दी गई है।

3. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

नगर पंचायत, झाझा को निर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं की विवरणी एवं लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन नहीं किये जाने की दशा में लेखापरीक्षा का उद्देश्य निष्फल हो जाता है। अतः पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

4. आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के नियम 97 में आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रावधान है। साथ ही बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 1928 के उपबंध 20, 30, 66 एवं नगरपालिका लेखा नियमावली के अन्तर्गत (Recovery of taxes) नियम 30, 37 तथा 39 में नगरपालिका पदाधिकारियों द्वारा अपनाए जानेवाले विभिन्न जॉचों का प्रावधान है।

नगर पंचायत, झाझा में संधारित अभिलेखों के जॉचोपरान्त यह पाया गया कि नगर पंचायत पदाधिकारियों द्वारा उक्त जॉच प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। जिसके कारण अनेक त्रुटियॉ दृष्टिगोचर हुई थी। जैसे– विलम्ब शुल्क का नहीं काटना, सैरात पंजी का संधारण नहीं किया जाना, योजनाओं के अभिलेखों का उचित संधारण नहीं होना इत्यादि।

174

5. अधिदृश्य

नगर पंचायत, झाझा में सहायक रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2011–12 से 12–13 तक की वित्तीय संव्यवहार निम्नानुसार थी–

क्र.सं.	विवरण	2011–12	2012–13
1	प्रारंभिक अवशेष	31108238.15	33348383.15
2	प्राप्ति	22779343.00	32041823.00
3	कुल प्राप्ति (1+2)	53887581.00	65390206.15
4	व्यय	20539198.00	17495585.00
5	अन्तशेष (3–4)	33348383.15	47894621.15

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट (iii) में सलग्न)

6 बैंक खाता का अनतशेष (31.03.13)

क्र.सं.	बैंक का नाम	अन्तशेष
(i)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं0– 11454025891 (जनगणना)	20783.00
(ii)	केनरा बैंक, हथिया खाता सं0– 33623	0
(iii)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं0– 32196512326	81492.00
(iv)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता सं0– 01190007494 (पेंशन)	782048.00
(v)	स्टेट बैंक ऑफ इडिया, झाझा खाता सं0– 30376534373 (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि)	10058428.00
(vi)	स्टेट बैंक आफ इंडिया, झाझा खाता सं0– 11454021182	5969064.00
(vii)	यूको बैंक, झाझा खाता सं0– 007326	1090454.00
(viii)	कोषागार खाता	30138292.47

अंकेक्षण आपत्ति

(1) बैंक खाता अन्तशेष तथा रोकड़ बही अन्तशेष (31.03.13) के मध्य अन्तर राशि (48140562.09 – 47894621.15) ₹245941.05 था। इसका करण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया था।

(2) वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के अन्त में समाधान विवरणी तैयार नहीं की गयी थी। समाधान विवरणी तैयार करके अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय।

6. बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 84 के अनुसार नगर पंचायत का बजट प्रारूप बनाकर तथा परिषद/सशक्त स्थायी समिति से पारित कर 15.03.12 तक सहमति हेतु स्थानीय निकायों के निदेशक के पास भेजना था, जिसे वापस दिनांक 31.03.12 तक प्राप्त होना था।

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बजट प्राक्कलन (2011–12) दिनांक 27.04.11 की बैठक के कंडिका 01 द्वारा पारित किया गया था। इसकी प्रति अनुमोदनार्थ उप सचिव– सह– निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को 06.06.11 को प्रेषित की गई थी। बजट प्राक्कलन 2012–13 जिसे कंडिका 01 दिनांक 19.06.12 को सशक्त स्थायी समिति द्वारा पारित कर दिनांक 24.08.12 को अनुमोदनार्थ उप

सचिव– सह– निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को प्रेषित की गई थी। नगर पंचायत के द्वारा वार्षिक आय– व्यय विवरणी (annual account) का संधारण नहीं किया गया था। जिसके कारण बजट में प्राक्कलित तथा वास्तविक आय– व्यय के बीच तुलना नहीं की जा सकी थी।

1	आय	2011–12	2012–13
	कुल संभावित आय	95670000.00	113796000.00
	कुल वास्तविक आय	22779343.00	32041823.00
	अन्तर राशि	72890657.00	81754177.00
	प्रतिशत अन्तर	76.19%	71.84%
2	व्यय		
	कुल संभावित व्यय	96937444.00	115246252.00
	कुल वास्तविक व्यय	20539188.00	17495585.00
	अन्तर	76398256.00	97750667.00
	प्रतिशत अन्तर	78.81%	84.82%

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति

(1) बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 धारा 82(7) के अनुसार नगरपालिका अपनी अचल सम्पत्ति की तालिका के मामले में सशक्त स्थायी समिति एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी जिसमें कथित तालिका में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे चिन्हित करेगी तथा बजट प्राक्कलन के साथ नगरपालिका के समझ प्रस्तुत करेगी। किन्तु बजट में अचल सम्पत्ति का कोई विवरण नहीं था।

(2) बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82(7) के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी, नगरपालिका क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति के संबंध में एक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसे बजट प्राक्कलन के उपस्थपन के समय प्रस्तुत करेगा। लेकिन पर्यावरणीय स्थिति के संबंध में कोई प्रतिवेदन बजट प्राक्कलन के साथ संलग्न नहीं था।

(3) वर्ष के दौरान किये गये अन्तिम निवेश की तिथि तथा राशि का विवरण बजट में अंकित नहीं था।

(4) वर्ष 2011–12 का बजट घाटे (95670000 – 969374444) अर्थात (–) 1267444.00 एवं वर्ष 2012–13 में भी बजट घाटा (113796000– 115246252) अर्थात (–) 1450252.00 का था। इसकी प्रतिपूर्ति हेतु किये गये प्रावधानों की जानकारी अंकेक्षण को नहीं दी गयी थी।

(5) वर्ष 2011–12 में सभावित आय तथा वास्तविक आय के मध्य 76.19 प्रतिशत एवं संभावित व्यय तथा वास्तविक व्यय में 78.81 प्रतिशत अन्तर था। इस प्रकार वर्ष 2012–13 में संभावित आय तथा वास्तविक आय के मध्य 71.84 प्रतिशत एवं संभावित व्यय तथा वास्तविक व्यय में 84.82 प्रतिशत का अन्तर था। इससे स्पष्ट है कि बजट वास्तविकता से परे था। इसका कारण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

7. अनुदान

अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए अनुदान पंजी के अनुसार नगर पंचायत को वर्षवार 2011–12 में ₹20380753 तथा 2012–13 में ₹23837504 एवं 31.03.13 को अवशेष ₹36138978 था। (विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट– III A पर)

L32

प्राप्त अनुदानों का अवशेष राशि ₹36138978.86 में से कुछ राशि तो काफी समय से ही नगर पंचायत कोष में ही था जिससे इस राशि का सहीं अंकेक्षण नहीं हो पाया।

अतः इस राशि का यथाशीघ्र नियमानुसार उपयोग किया जाय अथवा यदि आवश्यकता नहीं हो तो इसे सरकार को वापस किया जाय।

8. होल्डिंग कर से वसूली गई राशि जमा नहीं/कम राशि की वसूली

नगर पंचायत, झाझा के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कर संग्राहकों द्वारा वसूली गई राशि नगर पंचायत निधि में जमा नहीं की गई। कुछ कर संग्राहकों द्वारा मांग से कम राशि ली गई थी। इन सभी से संबंधित विवरण निम्न है–

क्र. सं.	होल्डिंग रसीद सं.	वसूली जाने योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली	नहीं/कम जमा राशि	कर संग्राहक का नाम
1	17725	2025	1867.50	157.50	157.50	सुनीता देवी
2	17726	2700	2025.00	675.00	675.00	सुनीता देवी
3	17727	3361.50	2236.50	1125.00	1125.00	सुनीता देवी
4	17728	10179	7929	2250.00	2250.00	सुनीता देवी
5	20053	263.25	175.50	87.75	87.75	श्री ओम प्रकाश गुप्ता
6	19828	1458	1345.50	112.50	112.50	श्री ओम प्रकाश गुप्ता
7	19835	10336.50	7876.35	2460.15	2460.15	श्री ओम प्रकाश गुप्ता
8	20592 से 20600	188802.60	18802.60	---	18802.60	श्री ओम प्रकाश गुप्ता
					25670.50	

अतः ₹25670.50 की राशि संबंधित कर संग्राहकों से वसूलकर नगर पंचायत निधि कोष में जमा कर, जमा की विवरणी से अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

9. बकाया गृह कर

नगर पंचायत, झाझा के मांग एवं वसूली पंजी के अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 का गृह कर से संबंधित मांग, वसूली तथा बकाया का विवरण निम्नानुसार पाया गया–

वर्ष	बकाया मांग	चालु मांग	कुल मांग	वसूली	बकाया	प्रतिशत वसूली
2011-12	2693464.91	653207.85	3346672.76	315795.67	3030877.09	9.43%
2012-13	3030877.09	653207.85	3684084.94	496380.55	3187704.39	13.47%

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

(1) वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के दौरान वसूली का प्रतिशत क्रमशः 9.43 एवं 13.47 था जो कि मान्य प्रतिशत 80 से काफी कम है। अतः बकाया करों की वसूली हेतु सार्थक प्रयास किया जाय।

(2) ₹3187704.39 (विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट– IV पर) की बकाया राशि वसूली हेतु यथाशीघ्र सार्थक प्रयास किया जाय।

(3) नगर पंचायत में विभिन्न करों से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का भी संधारण किया जाय तथा अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

10. शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर

निगम करों के साथ वसूली की जाने वाली उपकरें यथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकरों से 10 प्रतिशत की वसूली भार की कटौती कर शेष राशि राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना चाहिए।

पूर्व का एवं वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	शिक्षा उपकर	स्वास्थ्य उपकर	कुल	10% वसूली प्रभार	शेष प्रेषित योग्य राशि
2008-09 से 2010-11 (पूर्व के अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार)	368358.00	375638.00	743996.00	74399.60	669596.40
2011-12	157256.91	157462.65	314719.56	31471.956	283247.60
2012-13	247540.68	248086.18	495626.86	495262.686	446064.17
				कुल प्रेषित योग्य राशि	1398908.17

अतः उपरोक्त राशि ₹1398908.17 (विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट– V पर) का प्रेषण राज्य सरकार के संबंधित शीर्ष में करके अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

11. पिछले वित्तीय वर्ष के बकाया होल्डिंग एवं अन्य टैक्स के मांग में सही दंड अधिरोपित नहीं करना– 3.40 लाख

नगर पंचायत, झाझा के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कर संग्राहकों द्वारा पिछले कई वर्षों के बकाया होल्डिंग एवं अन्य टैक्स की कुल राशि (arrear) पर मात्र 2 प्रतिशत ही दंड अधिरोपित किया गया था। जबकि सरकार के निर्देश के अनुसार पत्र सं0– 3533, दिनांक 27.08.09 में 2% प्रतिमाह (दण्ड की तिथि पत्र में अंकित) दंड का प्रावधान किया गया था।

कर संग्राहकों द्वारा निम्न एच रिसिट बुकों का प्रयोग किया गया था एवं प्रत्येक बुक पर कितनी राशि की दंड अधिरोपित नहीं किया गया था, वे निम्न है–

क्र.सं.	बुक नं0	एच रसीद सं.	दंड की राशि	कर संग्राहक का नाम
1	35	17701-17751	23479.00	श्रीमती सुनीता देवी
2	79	19901-19950	1854.00	श्री ओम प्रकाश गुप्ता
3	81	20001-20050	4934.00	श्री ओम प्रकाश गुप्ता
4	90	20451-20500	7264.00	श्री ओम प्रकाश गुप्ता
5	84	20151-20200	11335.00	श्री ओम प्रकाश गुप्ता
6	88	20351-20400	5936.00	श्री ओम प्रकाश गुप्ता
7	92	20551-20600	20348.00	श्री ओम प्रकाश गुप्ता
8	85	20201-20250	4688.00	श्री ओम प्रकाश गुप्ता
9	91	20501-20550	5934.00	श्री ओम प्रकाश गुप्ता
10	77	19801-19850	5660.00	श्री ओम प्रकाश गुप्ता
11	82	20051-20100	5369.00	श्री ओम प्रकाश गुप्ता

12	93	20601-20650	24605.00	श्री मणिकांत गौतम
13	94	20651-20700	32379.000	श्री मणिकांत गौतम
14	95	20701-20750	3015.00	श्री मणिकांत गौतम
15	83	20101-20150	7595.00	श्री ओमप्रकाश साव
16	78	19851-19900	4350.00	श्री ओमप्रकाश साव
17	80	19951-20000	7866.00	श्री ओमप्रकाश साव
18	86	20251-20300	7327.00	श्री ओमप्रकाश साव
19	89	20401-20450	3010.00	श्री ओमप्रकाश साव
20	87	20301-20351	76062.00	श्री ओमप्रकाश साव
21	76	19751-19800	76970.00	श्री ओमप्रकाश साव
		कुल	₹339980.00	

अतः दंड की कुल राशि ₹339980 संबंधित व्यक्तियों से वसूलकर, वसूली की गई राशि की जमा कर, जमा विवरणी से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

12. बन्दोबस्ती की राशि की 3% मुद्रांक शुल्क नहीं लिया जाना

राज्य सरकार के पत्रांक 1920/मुख्य सचिव दिनांक 14.08.2002 एवं पत्रांक 549 दिनांक 15.03.2005 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में की गयी किसी भी प्रकार की बन्दोबस्ती के एकरारनामें का निबंधन किया जाना है (3% मुद्रांक शुल्क के साथ) ताकि उसे वैधानिक मान्यता मिल सके। वर्ष 2011–12 एवं 12–13 के दौरान नगर पंचायत के द्वारा सैरातों की बन्दोबस्ती का विवरण निम्नानुसार था–

क्र.सं.	सैरात का नाम	बन्दोबस्तदार का नाम	वर्ष	बन्दोबस्ती की राशि	3% मुद्रांक शुल्क
1	सब्जी बाजार	कामदेव प्र0 राउत	11–12 एवं 12–13	30100.00 30500.00	903.00 915.00
2	राजारंक चौक स्टैण्ड बन्दोबस्ती डॉ0 तसलीमुद्दीन	गौरी शंकर यादव	12–13	10500.00	315.00
3	स्टैण्ड बन्दोबस्ती	गौरी शंकर यादव	12–13	10200.00	306.00
4	प्रवेश शुल्क	दीन दयाल यादव	12–13	70501.00	2115.00
5	टिन– टिकट कार्ट रजिस्ट्रेशन	महेश पासवान विजय कुमार	11–12 12–13	34150.00 34500.00	1024.00 1035.00
				कुल	6613.00

टिप्पणी–

1 नगर पंचायत के द्वारा सैरात पंजी का संधारण नहीं किया गया है।

2 6613 की वसूली कर तथा वसूली की गई राशि राज्य सरकार के शीर्ष में जमा कर, जमा की विवरणी से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

13. मोबाईल टॉवर शुल्क जमा नहीं– 7.94 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0– 3691 दिनांक 08.10.12 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 (समय– समय पर संशोधित) की धारा 127 की उपधारा 1(ड़) तथा 419(1) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, संचार– टावर एवं संबंधित संरचना पर कर के संबंध में नियमावली 2012 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित टावर पर प्रतिटावर पंजीकरण शुल्क ₹30000 तथा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹8000 प्रतिवर्ष देय होगा तथा एक टावर पर लगाए गए प्रत्येक एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क लिया जाएगा। (अतिरिक्त)

टिप्पणी–

नगर पंचायत, झाझा द्वारा उपलब्ध कराए गए क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित टावरों के विवरण के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में 31.03.13 तक कुल 17 मोबाईल टावर थे जिनपर कुल बकाया पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क 794000 (विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट– VI पर) था। इस बकाया राशि की वसूली के संबंध में नगर पंचायत, झाझा द्वारा बताया गया कि वसूली का प्रयास किया जा रहा है तथा जल्द ही बकाया राशि की वसूली कर ली जाएगी।

अतः उपरोक्त बकाया राशि ₹794000 की वसूली यथाशीघ्र कर अगले लेखापरीक्षा में संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। .

14. टिन– टिकट/कार्ट रजिस्ट्रेशन की राशि कम जमा

नगर पंचायत, झाझा के अन्तर्गत कार्ट रजिस्ट्रेशन/टिन– टिकट नामक सैरात की बन्दोबस्ती में नगर पंचायत के अन्तर्गत 26650 कम जमा/नहीं वसूली किया गया था। इसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	वर्ष	सु0 जमा	जमानत की राशि	बन्दोबस्ती की राशि	जमा	कम जमा	बन्दोबस्तकार तथा जमा का विवरण
1	2011–12	34000.00	3400.00	34510.00	19000.00	15150.00	महेश पासवान नरेश पासवान चरधारा MR No 15421 Rs 19000
2	2012–13	34150.00	3415.00	34500.00	23000.00	11500.00	विजय कु0 राउत कामदेव राउत पीपराडीज झाझा MR No 15341 15000 MR No 15442 8000
					कुल	26650.00	

अतः उपरोक्त कम जमा राशि कुल ₹26650 की वसूली कर जमा के साक्ष्यों को अगले लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया जाय।

15. अनुज्ञप्ति शुल्क

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 में, नगरपालिका क्षेत्र में बिना नगरपालिका की अनुज्ञप्ति/अनुमति से गैर आवासीय प्रयोजनों के लिये परिसरों का उपयोग नहीं किया जाना है, अर्थात

व्यावसायिक कार्य हेतु 342वीं अनुसूची के अनुसार व्यवसाय हेतु नगर पंचायत से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना है।

इसी अनुसूची की संख्या/कम 16 में बैंकिंग क्षेत्र का जिक्र है। अतः नगर पंचायत क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले बैंकिंग प्रतिष्ठानों को नगर पंचायत क्षेत्र में व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति लेनी चाहिए।

नगर पंचायत के द्वारा उपलब्ध कराए गये सूची के अनुसार, नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत बैंकों/अन्य नन बैंकिंग बैंकों की शाखाओं की कुल संस्था 6(विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट– VII पर) है। जिसके अनुसार केवल दो वर्षों (2011–12 एवं 12–13) की अवधि के लिये हीं रू. 2500x6x2=30000 की हानि नगर पंचायत को हुई।

अतः 30000 (अथवा प्रस्तावित राशि) की राशि बैंकों से वसूल कर तथा अनुज्ञप्ति पंजी (बैंकों तथा अन्य नन बैंकिंग संस्थानों के लिये) का संधारण कर, विवरणी से अंकेक्षण को अवगत कराया जाय।

16. निबंधित वास्तुकार के निबंधन में अनियमितता

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 314 के अन्तर्गत बिहार राज्य में नगरपालिका क्षेत्र में भवनों के नक्शों की स्वीकृति का कार्य सूचिबद्ध प्रामाणिक वास्तुकारों के द्वारा किया जाना है। इस संबंध में किन लोगों के प्रामाणिक वास्तुकार के रूप में नगरपालिकाओं को सूचिबद्ध करना है। इसका विवरण नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्र सं. 2998 दिनांक 22.07.2009 के द्वारा राज्य के सभी नगर निकायों को भेज दिया, जिसमें प्रकिया का स्पष्ट उल्लेख है। जिसमें प्रमुख है–

A(ii)- Empanelment of certified Architect की प्रकिया को अनवरत करने के उद्देश्य से सभी नगर निकाय अपने स्तर से वैसे वास्तुकार, जिनका निबंधन council of Architecture, New Delhi से हो एवं जिन्हें पॉच वर्ष का अनुभव प्राप्त हो (Architect Act 1972 के अधीन निबंधन की शर्त्त)

निश्चय ही नगर पंचायत, झाझा को इन निर्देशों का पालन करना चाहिए था, अभिलेखों की नमूना जॉच में यह पाया गया कि निम्न मामलों में इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया–

(i) श्री बॉबी आलोक मधु, पीपराडीह, झाझा (जमुई), निबंधन सं0 01/08–09

श्री मधु, नवीन राजकीय पॉलिटेकनिक, पटना– 13 से यांत्रिक अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी हैं तथा विश्व कम्प्यूटर साक्षरता मिशन से Auto CAD (ST-18) में 60 दिना का कोर्स किए हैं। ये Architectship में डिप्लोमाधारक भी नहीं हैं तथा नक्शा स्वीकृत करने की योग्यता नहीं रखते हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार Architect Act 1972 के अनुसार Council of Architect New Delhi से निबंधित नहीं है तथा पॉच वर्ष का अनुभव भी प्राप्त नहीं है (निबंधन तिथि को)

अतः निबंधित वास्तुकार की योग्यता पूर्ण नहीं किए जाने के कारण, नगर पंचायत, झाझा के द्वारा किया गया इनका निबंधन नियमानुकूल नहीं है।

(ii) श्री मिनत उल्लाह अख्तर पीपराडीह, झाझा, निबंधन सं0– 02/10–11

श्री मिनत उल्लाह अख्तर civil engg. में B.Sc.(Engg) हैं तथा Institute of Engineer (India) से Associate member हैं परन्तु Architecural side से इनकी कोई डिग्री नहीं है तथा राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित Architect act- 1972 के अधार पर council of architect, new delhi से निबंधित नहीं हैं अर्थात नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत नक्शे स्वीकृत करने की योग्यता नहीं है। अतः निबंधित वास्तुकार की योग्यता पूर्ण नहीं किए जाने के कारण, नगर पंचायत, झाझा के द्वारा किया गया निबंधन नियमानुकुल नहीं है।

(iii) श्री शैलेन्द्र झा– पुरानी बाजार, झाझा, निबंधन सं0– 03/10–11

श्री शैलेन्द्र झा, Board of Technical Education, महाराष्ट्र से civil engineering में डिप्लोमाधारी है ये राज्य सरकार के निर्देशानुसार Architect Act 1972 के आधार पर council of architect, new delhi से निबंधित नहीं है अर्थात नगर पंचायत के अन्तर्गत भवनों के नक्शों की स्वीकृति देने की योग्यता नहीं है।

अतः राज्य सरकार के निर्देशानुसार, निबंधित वास्तुकार की योग्यता पूर्ण नहीं किए जाने के कारण, नगर पंचायत, झाझा के द्वारा किया गया निबंधन नियमानुकूल नहीं है।

(iv) श्री हरि प्रसाद झा– पुरानी बाजार, झाझा, निबंधन सं0– 01/10–11

श्री हरि प्रसाद झा, यांत्रिक इंजिनियरिंग में डिप्लोमाधारी हैं तथा लघु सिंचाई प्रमण्डल, झाझा से वर्ष 2009 में सेवानिवृत हुए हैं इन्हें सिविल अथवा Architect किसी भी क्षेत्र का अनुभव/योग्यता/डिग्री नहीं है तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार Architect Act 1972 के आधार पर council of Architect, New delhi निबंधित नहीं है। अर्थात नक्शों को स्वीकृत करने की योग्यता नहीं है।

अतः निबंधित वास्तुकार की निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं किए जाने का कारण, नगर पंचायत, झाझा के द्वारा किया गया निबंधन गलत है अथवा नियमानुकूल नहीं है।

इन सभी के द्वारा पारित किए गए नक्शों की संख्या निम्नानुसार थी–

वर्ष	बॉबी आलोक मुध	हरि प्र0 झा	मिनत उल्लाह अख्तर	श्री शैलेन्द्र झा
2009–10	20	–	–	–
2010–11	–	8	–	–
2011–12	2	28	–	–
2012–13	–	–	–	–
	22	39		कुल 61

इस प्रकार राज्य सरकार के निर्देशों के प्रतिकुल निबंधित किए गए वास्तुकारों के द्वारा पारित किए गए नक्शों की स्वीकृति की वैद्यता पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

166

नगर पंचायत, झाझा के द्वारा निबंधित सभी लोग, राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार निबंधित वास्तुकार की श्रेणी में नहीं आते है अर्थात ये निबंधन के योग्य नहीं है इस प्रकार इनके द्वारा पारित नक्शों की वैद्यता पर प्रश्नचिन्ह लगता है।

अतः निबंधित वास्तुकार के रूप में इन सभी का Empanelment/निबंधन रद्द किया जाय तथा नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग से उचित मार्गदर्शन मांगा जाय।

17. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना में प्रशिक्षण मद का संदिग्ध भुगतान– 2.98 लाख

सरकार के पत्रांक 927 दिनांक 06.09.2012 के अनुसार कौशल प्रशिक्षण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 63 संस्थाओं का चयन कर सूची नगर पंचायत में भेजी गयी थी। इनमें से एक संस्था को चयनित कर बी.पी.एल. (BPL) परिवारों के युवक/युवतियों को प्रशिक्षण दिलाने का निर्देश दिया गया था। इस संबंध में प्रशिक्षण प्रारंभ तथा संस्थाओं के सथ एकरारनामा पर हस्ताक्षर करने से पूर्ण नगर पंचायत, झाझा को निम्नलिखित बिन्दुओं पर संस्थाओं की जॉच कर संतुष्ट होने का निर्देश था।

(i) संस्थाओं/एजेंसियों के पास प्रशिक्षण स्थल पर कम से कम पन्द्रह सौ वर्गफीट का स्थान होना चाहिए था।

(ii) प्रशिक्षण प्रतिदिन कम से कम 04(चार) घंटे होना चाहिए।

(iii) संस्थाओं/एजेंसियों के पास क्लासरूम, प्रयोगशाला या अन्य आधारभूत सुविधाएँ होने चाहिए।

(iv) क्लासरूम में कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कम से कम 10(दस) सेट कम्प्यूटर होना चाहिए था।

(v) संस्थाओं/एजेंसियों को प्रशिक्षण कराने के उपरान्त कम से कम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को राजगोर (Placement) मुहैया कराने की क्षमता हो।

(vi) इसके अलावा जो प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के उपरान्त स्वरोजगार के लिए इच्छुक है तो संस्था द्वारा उनका आवेदन प्राप्त कर बैंकों में भिजवाना सुनिश्चित करना होगा।

(vii) प्रशिक्षण संबंधित टूलकिट सूची के आधार पर प्रशिक्षणार्थी को मुहैया कराने के उपरान्त प्रशिक्षण आरंभ कराना था।

(viii) तथा उपरोक्त बिन्दुओं को एकरारनामा में समाहित करते हुए अपने स्तर से अन्य बिन्दुओं पर संतुष्ट होते हुए संबंधित संस्था के साथ एकरारनामा करना था।

सरकार के पत्रांक 427 दिनांक 15.05.12 के अनुसार नगर प्रबंधक/नगर कार्यपालक पदाधिकारी इस योजना के सम्पूर्ण कार्य के लिए जिम्मेवार होंगे। नगर प्रबंधक को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है। इनके द्वारा प्रत्येक स्तर पर कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से सभी नगर निकाय अपने स्तर से अपने– अपने नगर निकाय क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचार– प्रसार, होर्डिंग, बैनर, फलैक्स बोर्ड, हेण्ड बिल एवं लाउडस्पीकर आदि के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।

1 नगर पंचायत, झाझा के क्षेत्रान्तर्गत बी.पी.एल. युवक/युवतियों को प्रशिक्षित करने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी को स्टारवे इन्टरनेशनल फाउन्डेशन द्वारा पत्र सं. 144 दिनांक 14.09.12 के द्वारा अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ था।

2 एकरारनामा– दिनांक 25.09.12 को मैनेजिंग ट्रस्टी सह अध्यक्ष स्टारवे इन्टरनेशनल फाउन्डेशन तथा कार्यपालक पदाधिकारी, झाझा के मध्य सम्पन्न किया गया था।

3 कार्यादेश– ज्ञापांक 817 दिनांक 30.12.12 को स्टारवे इन्टरनेशनल फाउन्डेशन, पटना को दिया गया।

4 कौशल प्रशिक्षण के लिए युवक/युवतियों अर्थात एस.जे.एस.आर.वाई की आम सूचना निर्गत करने की तिथि 23.06.12

5 कुल प्राप्त प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्रों में 175 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में दिनांक 01.01.2013 (**Ref 114 dt 22.01.13,** स्टारवे इन्टरनेशनल फाउन्डेशन के अनुसार) से प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। विभिन्न ट्रेडों में आवेदनकर्त्ता की संख्या निम्नानुसार थी–

ट्रेड	प्रशिक्षणार्थी सं.
कम्प्यूटर	50
फैशन डिजाइनिंग (सिलाई)	90
ब्यूटिशियन	35
	175

6 स्टारवे इन्टरनेशनल फाउन्डेशन द्वारा पत्र 114 दिनांक 22.01.13 के आधार पर फैशन डिजाइनिंग (सिलाई) प्रति प्रशिक्षणार्थी 7000 की दर से, ब्यूटिशियन में प्रति प्रशिक्षणार्थी 6000 एवं कम्प्यूटर में 7000 की दर से भुगतान करने हेतु अनुरोध किया गया था।

7 भुगतान की गई राशि–

क्र.सं.	ट्रेड	प्रति प्रशिक्षणार्थी दर	प्रशिक्षणार्थी सं.	कुल राशि
1	कम्प्यूटर	7000.00	50	350000.00
2	सिलाई	7000.00	90	630000.00
3	ब्यूटिशियन	6000.00	35	210000.00
				1190000.00

25% of 1190000= 297500.00 राशि चेक सं. 800796 दिनांक 19.02.13 के द्वारा भुगतान की गयी थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति

(1) सरकार के पत्रांक 927 दिनांक 06.09.12 में वर्णित बिन्दुओं को सरकार के दिशानिर्देशानुसार एकरारनामा में समाहित नहीं किया गया था।

(2) स्टारवे इन्टरनेशनल संस्था, पटना की संस्था है तथा इसकी कोई भी ईकाई नगर पंचायत, झाझा में कार्यरत नहीं थी।

(3) संस्था द्वारा पूर्व के तीन वर्षों में प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार (placement) मुहैया कराने से संबंधित कागजात अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया था।

(4) संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्रशिक्षणार्थियों को tool kits की व्यवस्था नहीं की गई थी, अतः बिना tool kits के प्रशिक्षण कैसे संभव हुआ था, अंकेक्षण में नहीं बतलाया गया था।

(5) प्रशिक्षण के दौरान कक्षा में ट्रेनिंग का औचक निरीक्षण प्रतिवेदन नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया न ही नगर पंचायत अधिकारी द्वारा क्लास समीक्षा प्रतिवेदन अंकेक्षण में दिखलाया गया था।

(6) स्टारवे इन्टरनेशनल द्वारा प्रशिक्षकों की सूची एकरारनामा में वर्णित नहीं किया गया था। प्रशिक्षकों की सूची तथा उनके द्वारा सत्यापित प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति पंजी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

(7) 1 जनवरी 2013 से 15 फरवरी 2013 के उपस्थिति पंजी के अवलोकन में पाया गया कि प्रशिक्षणार्थियों के कक्षा में अनुपस्थित रहने के बावजूद उनका हस्ताक्षर उपस्थिति पंजी में दर्ज थी।

(8) विभिन्न ट्रेडों का पाठयक्रम (syllabus) (जिसके आधार पर प्रशिक्षण मुहैया कराना था) अंकेक्षण में नहीं दिखलाया गया था।

(9) फैशन डिजाइनिंग प्रति प्रशिक्षणार्थी ₹7000 की दर सरकार द्वारा तय की गयी थी जबकि फैशन डिजाईनिंग के एक भाग सिलाई हेतु ही नगर पंचायत में प्रति प्रशिक्षणार्थी 7000 की दर तय की गयी थी। इसका कारण अंकेक्षण में नहीं बताया गया था।

(10) प्रशिक्षक का ट्रेडों से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र की प्रति अंकेक्षण में नहीं दिखलाया गया था।

(11) उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत करते हुये जैसे– ट्रेनिंग संस्था का झाझा में अपनी इकाई (branch) स्थापित नहीं करना, उचित ट्रेनिंग व्यवस्था एवं प्रशिक्षक मुहैया नहीं करवाना तथा अनुचित उपस्थिति पंजी का संधारण इत्यादि अनियमिततायें इस संभावना को प्रबल करती है कि प्रशिक्षण मद की राशि का दुरूपयोग किया गया हो, अतः इसकी विभागीय स्तर पर विस्तृत जॉच किये जाने की आवश्यकता है, जॉच के फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराये जाने तक कुल भुगतान की राशि 297500 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

18. विद्युत विलंब शुल्क

नगर पंचायत, झाझा द्वारा 2011–12 से 2012–13 की अवधि तक विद्युत विपत्र का भुगतान निम्नानुसार किया गया था–

क्र.	विपत्र सं. /दिनांक	मीटर सं.	विपत्र माह	विपत्र राशि	विलंब शुल्क	भुगतान की गई राशि	चेक सं. /दिनांक	देय राशि	अन्तर
1	201102–03467 /16.03.11	–	02/2011	90595	13185	91666	401980/ 19.05.11	77420	14246 (13185+1061)
2	–/13.08.12	–	03/2012	7951.80	3962.82	–	–	7951.80	–

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

(1) विद्युत विपत्र राशि का भुगतान अद्यतन किया जाना चाहिए, जिससे कि विलंब शुल्क का नुकसान नगर पंचायत को नहीं आरोपित हो। विद्युत विपत्र समयावधि में नहीं जमा करने का कारण अगले लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया जाय।

(2) विलंब शुल्क ₹14246.00 विद्युत उपयोग के कीमत का मांग नहीं है, अतः राशि सरकारी संस्था से वसूलनीय नहीं है। अतः विलंब शुल्क राशि ₹14246.00 नगर पंचायत द्वारा विद्युत विभाग को भुगतान करने का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट किया जाये।

(3) संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विद्युत विभाग, झाझा पर होल्डिंग टैक्स 31.03.12 तक बकाया राशि ₹63000.00 थी, जिसमें विलंब शुल्क (fine) सम्मिलित नहीं किया गया था। विद्युत विभाग, झाझा से बकाया गृह कर एवं विलंब शुल्क की वसूली कर अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

19. योजना कार्य में संवेदक को अधिक भुगतान

नगर पंचायत, झाझा में योजना का कियान्वयन में संवेदक श्री मनोज कुमार को 1401 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

विवरण (योजना) मद– बी.आर.जी.एफ.

योजना सं0– 08/11–12

संवेदक– श्री मनोज कुमार

नाम– वार्ड नं. 1 में रविदास टोला में छतदार चबुतरा का निर्माण

प्राक्कलित राशि– ₹153142.00

कार्य की राशि– ₹151610.00 (एकरारनामा 1% below)

मापी की राशि– ₹140105.00

462

भुगतान का विवरण–

भुगतान किया गया (प्रथम चलंत बिल)	भुगतान करना था	अधिक भुगतान
प्रा0 राशि–153142 कार्य की राशि– 140105 वैट– 7005 आयकर– 3175 5% SD- 7005 रायल्टी– 2258 कुल कटौती– 19443	कार्य की राशि– 140105 (1% below) – 138704 कटौतियॉ – 138704– 19443 = 119261	120662– 119261= 1401
भुगतान की राशि– 120662		
vr. no-259 dt. 09.03.13		

इस प्रकार अधिक भुगतान की गयी राशि 1401 की प्राप्ति/वसूली कर विवरण से अगले लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाये।

20. योजनाओं की स्थिति, विलम्ब शुल्क, गुणवत्ता परिक्षण तथा कर

(i) योजनाओं की स्थिति

नगर पंचायत, झाझा के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

मद	कुल योजना	पूर्ण	अपूर्ण	कार्य प्रारंभ नहीं	कुल प्रा0राशि	रायल्टी	वैट	आयकर	अभयुक्ति
नगर विकास	33	5	9	20	4445920	10435	135273	19267	विलम्ब
13वॉ वित्त	10	10	–	–	6772070	–	137534	–	–
12वॉ वित्त	2	1	1	–	234000	363	3169	1069	1 विलम्ब प्रा.राशि 175000
बी.आर.जी. एफ.	42	2	–	40	5614243	–	–	–	विलम्ब
नगर विकास	2	–	2	–	919600	533	11078	4508	विलम्ब
सामान्य	8	–	8	–	1565208	–	–	–	विलम्ब
रद्द	1	–	–	–	–	–	–	–	–
	98	18	20	60	19551041				

कुल 98 योजनाओं में मात्र 18 योजना ही पूर्ण थे, 80 योजनाएँ या तो अपूर्ण थे अथवा प्रारंभ ही नहीं किए गए थे। अर्थात पूर्णता का प्रतिशत मात्र 18 प्रतिशत है। अतः योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रयास किए जाये।

21. अग्रिम

नगर पंचायत, झाझा द्वारा उपलब्ध कराई गई अग्रिम पंजी के अनुसार लेखापरीक्षा की अवधि तक कुल राशि ₹225891.96 (विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट– VIII पर) विभिन्न अग्रिमधारकों के पास लम्बित थी।

अतः असमायोजित अग्रिम का समायोजन/वसूली कर अगले लेखापरीक्षा में अग्रिम पंजी को अद्यतन कर सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाये।

22. कार्यपालक से वार्त्तालाप

लेखापरीक्षा में पायी गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों पर बिन्दूवार नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ लेखापरीक्षा के दौरान समय– समय पर वार्त्तालाप की गई।

23. लेखापरीक्षा परिणाम

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	शून्य
2.	लेखापरीक्षा द्वारा वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	₹ 1224314-50
3.	अंकेक्षण के द्वारा आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि	₹ 297500.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IX पर)

24. सामान्य अभियुक्ति :–

नगर पंचायत निधि के लेखाओं के संधारण काफी सुधार की आवश्यकता है। रोकड़ बही का मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक योग नहीं किया गया, सामंजन पंजी का संधारण नहीं किया गया। शुल्क एवं करों से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया। इन पंजी/अभिलेखों का संधारण नहीं किये जाने से किसी भी वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः नगर पंचायत प्रशासन को सुझाव नहीं किया जा सकता। विहित संधारण की दशा में उचित कदम शीघ्र उठाया जाए। बकाया करों एवं शुल्कों की वसूली के उपबंधों के अनुरूप सभी प्रकार के शुल्क एवं करों की वसूली की जाय, ताकि पंचायत निधि की आर्थिक स्थिति को सुदृढ किया जा सके एवं किसी भी अनियमितता की संभावना को नकरा जा सके।

–हस्ता0–
(आलोक कुमार)
स.ले.प.अ.
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
———सह———
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

160

सं0.एल0ए0 / एस0एस0.1 / श0स्था0नि0 / **दिनांकः–**

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, झाझा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं / आपत्तियों का जबाब प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया जाये।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं / विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

- ह0 -
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–।
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

सं0.एल0ए0 / एस0एस0.1 / श0स्था0नि0 / 14453/2124 **दिनांकः–** 11·12·2014

आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, जमुई

26/11/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–।
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार,पटना